

MJC-MACC-100032/16

Order s

order or proceeding

न्यायालय द्वारा आदेश पर

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

11/2/17

मे. सुक. डि. भा.

हमारे पास डाकू के डायरी

पुलिस डाकू के कार्ड पर नाम का उल्लेख

का उल्लेख है मे. 11/2/17 के आदेश पर

मे. सुक. डि. भा. 11/2/17

पी. सी. आय

सदस्य

दि. मोटर दुर्घटना प्रमाणिकरण
गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

20/2/17

आवेदिकागण सहित श्री सुनील कांकर उपस्थित।
प्रकरण आवेदनपत्र पर तर्क/विचार हेतु नियत है।
मूल अभिलेख व नायब नाजिर गोहद से प्रतिवेदन पूर्व में
ही प्राप्त।

आवेदिकागण अधिवक्ता श्री सुनील कांकर व बीमा कम्पनी
श्री आर.सी. गुप्ता को अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को
सुना गया। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता को अवार्ड राशि के
भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा
होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अना. कं.- 3 बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय में
उक्त अवार्ड राशि के संबंध में अपील प्रस्तुत की जिसमें बीमा
कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में
अवार्ड राशि में से 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) रुपये जरिये
चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.
-05/16 दिनांक 22-06-16 को नजारत अनुभाग गोहद भेज
गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 04/16 दिनांक
23-06-16 पर जमा होकर शेष है।

इस न्यायालय द्वारा अवार्ड पारित प्र.क.-09/14 क्लेम
श्रीमती कलावती आदि - मनोज कुमार आदि खा.क.-
12-02-16 का अवलोकन किया, जिससे दर्शित होता है कि इस

पी. सी. आय

सदस्य

Order sheet [Contd]

II-156

M3CMAcc-100032116 C.J.
case No-12017

Signatures of
Parties or
Pleadings where
necessary

ite of
order
or
proceeding

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleadings
where
necessayry

न्यायालय द्वारा आवेदिकागण को क्षतिपूर्ति राशि कुल-8,03,965/- रुपये उस पर छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसमें से आवेदिका कलावती के नाम से 1,03,965/- (एक लाख तीन हजार नौ सौ पैसठ रुपये) राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। शेष राशि सात लाख में से आवेदिका श्रीमती कलावती के नाम से 100000/- रुपये (एक लाख रुपये) की एफ.डी. तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा की जावे और आवेदक कं.- 2 लगायत 4 के नाम से 200000/-200000 रुपये (दो-दो लाख) ब्याज की राशि को जोड़ते हुए एफ.डी. तीन-तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान किये जाने का आदेश है।

अना.क.-03 बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में जमा सुदा अवार्ड राशि 25000/- रुपये को अवार्ड दिनांक 12-02-16 के आदेशानुसार आवेदिका कं.-1 श्रीमती कलावती को 3,233/- (तीन हजार दौ सौ तेतीस) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे तथा शेष 3110/- (तीन हजार एक सौ दस) रुपये की तीन वर्ष के लिए एफ.डी. के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा किये जावे। तथा आवेदक कं.- 2 लगायत 4 के नाम से 6219-6219/- (छः हजार दौ सौ उन्नीस) रुपये की राशि एफ.डी. तीन-तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान किया जावे। उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. के माध्यम से जमाशुदा राशियों का इस अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता के पूर्व भुगतान न किया जावे। एफ.डी.आर. का ब्याज उसी में परिपक्व होने पर जोड़कर भुगतान किया जावे।

अतः आदेश के पालन में आवेदिका कं.-1 श्रीमती कलावती पत्नी स्व. श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड 3,233/- (तीन हजार दौ सौ तेतीस) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे तथा शेष 3110/- (तीन हजार एक सौ दस) रुपये की तीन वर्ष के लिए एफ.डी. के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा किये जावे तथा आवेदक कं.- 2 लगायत 4 मनोज, अशोक, व अनोज पुत्रगण स्व. श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड आवेदक कं.- 2 लगायत 4 के नाम से 6219-6219/- (छः हजार दौ सौ उन्नीस) रुपये की राशि एफ.डी. तीन-तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान किया जावे।

आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायब नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे। साथ ही बाउचर पर नोट लगाया जावे कि एफ.डी.आर. के माध्यम से जमाशुदा राशियों का इस अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता के पूर्व भुगतान ना किया जावे।

पी. सी. भाष

सदस्य 20-02-17

दि. मोटर कार्यवाही कार्यालय राशि